न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—193/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/193)

1. बंशीलाल पुत्र लाल जाति रेगर, निवासी ग्राम राजगढ तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. करणी सिंह पुत्र विजय सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम राजगढ तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

3. भंवरलाल पुत्र लाला
4. मदनलाल पुत्र लाला (नाम तर्क)
जाति रेगर, निवासी ग्राम राजगढ तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, राजस्व वाद संख्या 24/2020

उपस्थितः—

1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री तेजेन्द्रसिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री मंगलाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 3
4. श्री विकास पराशर राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02

निर्णय

दिनांकः—17.02.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 24/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने प्रतिवादीगण/अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेंटस के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया। वाद पत्र दिनांक 4.3.2020 को दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने के आदेश देकर पत्रावली दिनांक 4.5.2020 हेतु नियत की। दिनांक 4.5.2020, 29.6.2020 व 18.8.2020 को पीठासीन अधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

मुख्यालय से बाहर होने के कारण पत्रावली दिनांक 9.10.2020 को पेश होने के आदेश दिए। दिनांक 9.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध गलत रूप से एक्स पार्टी आदेश कर दिए तथा दिनांक 14.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात बनाने के आदेश दिए। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात पर बिना साक्ष्य लिए पत्रावली को बिना साक्ष्य में नियत किए पत्रावली में पेश दस्तावेजों को बिना प्रदर्शित करवाए ही दिनांक 14.10.2020 को रेस्पोडेंट संख्या 1 व सरकार की बहस सुनकर आदेश हेतु रिजर्व रखकर दिनांक 16.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश दिनांक 16.10.2020 पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 24/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2020 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर कथन किया कि ग्राम राजगढ तहसील नसीराबाद के चौसाला खसरा नम्बर 500, 501, 202, 503 का सनफसली 1359 सन 1951–52 के नक्शा ट्रेस की सत्य प्रतिलिपि। ग्राम राजगढ के वर्किंग खसरा नम्बर 482, 483, 484, 485 का वर्किंग सम्वत 2041 नक्शा ट्रेस की सत्य प्रतिलिपि। ग्राम राजगढ के हाल खसरा नम्बर 908, 909, 911 के वर्किंग खसरा नम्बर 833, 834, 482 के चौसाला खसरा नम्बर 447, 448, 500 के नक्शा ट्रेस-की दुरूस्ती बाबत उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष पेश नियमित राजस्व वाद संख्या 25/2023 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 19/2023 बउनवानी भंवरलाल बनाम करणीसिंह की भीमो एवं आदेशिका की सत्य प्रतिलिपि। अतः न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज़ात को रिकार्ड पर लिया जाकर बतौर साक्ष्य शुमार फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात किसी भी रूप में न्यायिक दस्तावेज नहीं होने से प्रकरण को लंबित करने के उद्देश्य से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की जा रही है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण में निर्णय हेतु किसी प्रकार सारवान है, स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज किसी भी रूप से लोक दस्तावेज नहीं है जिनकी सत्यता स्वयं प्रार्थी द्वारा साबित की जानी है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से निरस्त फरमाए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि दस्तावेज विवादित भूमि से संबंधित है, न्याय निर्णय में सहायक होगी इस कारण न्यायहित में *अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम*

Scanned with CamScanner

27 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाता है।

7. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.10.2020 की प्रार्थी को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था उक्त जानकारी अभी हाल ही में दिनांक 6.6. 2022 को हुई जब विपक्षी संख्या 1 द्वारा मौके पर आकर प्रार्थी को उसके पक्ष में निर्णय होने बाबत बताया व मौके से कब्जा छोडने की धमकी दी। जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 7.6.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में जाकर अपीलाधीन आदेश की जानकारी करवा कर अपीलाधीन आदेश व डिक्री की नकल हेतु उसी दिन दिनांक 7.6.2022 को नकल हेतु आवेदन करवाया जो कि प्रार्थी को दिनांक 8.6.2022 को दी गई तब प्रार्थी वापस अपने गांव गया एवं फीस व खर्चे की व्यवस्था कर दिनांक 8.7.2022 को अजमेर आकर अभिभाषक से सम्पर्क कर उक्त अपील तैयार कर जानकारी से अंदर मियाद श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई वहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया वाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

R.B.J (5) 1998 PAGE 257- **LIMITATION ACT, 1963- SECTION 5-** *When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge.*

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराशय नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

10. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना पारित किया गया है क्योंकि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किए गए उस समय कोरोना महामारी चल रही थी और कोर्ट बंद थे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की तामिली दिनांक 4.5.2020 को जारी नोटिस के आधार पर मानकर एक्स पार्टी काग्रवी की जबकि दिनांक 24.3.2020 से 30.6.2020 तक सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन लगा हुआ था जिससे अपीलांट को कोई नोटिस तामिल होना संभव ही नही था। अपीलांट को किसी प्रकार का नोटिस समुचित रूप से तामिल नहीं हुआ था। अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेंटस की ग्राम राजगढ में खसरा नम्बर 911 के साथ अन्य खसरा नम्बर 1618, 815, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 960 एवं 962 की सह हिस्सेदारी की खातेदारी काश्तकारी की भूमि स्थित है। ग्राम राजगढ के हाल खसरा नम्बर 911 आपसी सहमति बंटवारे में अपीलांट के हिस्से में आ रखी है व खसरा नम्बर 911 पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना नोटिस तामिल करवाए ही अपीलांट के विरूद्ध गलत रूप से नोटिस तामिल मानकर अपीलांट के विरूद्ध एक्स पार्टी कर आदेश अपील पारित किया है। वादी/रेस्पोडेंट सख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया था क्योंकि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 अपने नक्शे की दुरूस्ती चाहता था। नक्शे की दुरूस्ती के तहत वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 को धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत आवेदन करना चाहिए था क्यों कि धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नक्शे की दुरूस्ती नहीं की जा सकती थी। उक्त विधिक स्थिति को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश अंतर्गत अपील पारित किया है। ग्राम राजगढ के हाल खसरा नम्बर 912 के राजस्व मानचित्र के अनुसार ही वर्तमान में रेस्पोडेंट/वादी का कब्जा काश्त है व पूर्व में वादी के विकेताओं का कब्जा काश्त था तथा अपीलांट भी हाल खसरा नम्बर 911 के राजस्व मानचित्र के अनुसार ही मौके पर काबिज काश्त है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में नक्शा दुरूस्ती का दावा पेश करते समय सभी पडौसी खातेदारों को दावे में पक्षकार नहीं बनाकर कानूनी प्रावधानों के बाहर जाकर वाद पेश किया था। उपखण्ड अधिकारी ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश अंतर्गत अपील पारित किया है। जो अपील के माध्यम से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 24/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2020 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

11. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी की ग्राम राजगढ में वादग्रस्त आराजीयात क्रयशुदा खातेदारी काश्तकारी की स्थित है जिसके जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 500, 501, 503, 502 के हाल खसरा नम्बर 911, 912, 912 मिन, 913 है वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदारी भूमि है तथा चौसाला पुरानो खसरा नम्बर 500 के वर्किंग जमाबंदी में बने

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

नवीन खसरा नम्बर 482 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बने हाल खसरा नम्बर 911 का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं उसकी माता धापू की खातेदारी में दर्ज है। खातेदार धापू की मृत्यु हो गई के वारिस प्रतिवादी सख्या 1 से 3 अपनी अपनी भूमि पर काबिज मालिक स्वामी चले आ रहे है। वादी की खातेदारी भूमि पुराने चौसाला खसरा नम्बर से बने वर्किंग तथा वर्किंग में बने नवीन खसरा के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बने हाल खसरा नम्बर को पूर्व चौसाला नक्शा टेस सन 1951–52 में सही रूप से दर्शित मानचित्र की स्थिति को वर्किंग नक्शा टेस सन 1970 से 71 एवं वर्तमान नक्शा टेस में परिवर्तित करते हुए बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की खातेदारी भूमि चौसाला पुराने खसरा नम्बर 500 के वर्किंग जमाबदी मूं बने नवीन खसरा नम्बर 482 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बने हाल खसरा नम्बर 911 का रकबा बडा करते हुए वर्किंग नक्शा टेस सन 1970 से 71 एवं वर्तमान नक्शा टैस की स्थिति को परिवर्तित कर वादी के खातेदारी खेत हाल खसरा नम्बर 912 की पश्चिमी दिशा की लाईन को हाल खसरा नम्बर 908 के दक्षिण दिशा के कार्नर से लाईन हटाते हुए उत्तर से दक्षिण के रूप में खेत आधा करते हुए रक्बा कम कर दिया एवं प्रतिवादी-संख्या 1 से 3 के खातेदारी खेत हाल खसरा नम्बर 911 में मर्ज करते हुए खेत को बडा कर दिया। जो भूमि वादी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 912 थी को पूर्व चौसाला नक्शा टेस अनुसार वर्तमान नक्शा टेस में इंद्राज दुरूस्त कर सही किया जाकर वादी के खेत हाल खसरा नम्बर 912 का रकबा पूरा किया जावे व वर्तमान नक्शा टेस में तरमीम कर नक्शे में इंद्राज दूरूस्ती की कार्यवाही की जावे व हाल खसरा नम्बर 912 का रकबा सही कर वर्तमान नक्शा ट्रेस में इस आशय की इंद्राज दुरूस्ती की जाकर खातेदारी उदघोषणा पारित की जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

12. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को प्रोपर तामील करवाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है क्योंकि अपीलांट के नोटिस दिनांक 4.5.2020 को उसके भाई द्वारा लेना बताकर अपीलांट के विरूद्ध एक्स पार्टी की है। जबकि दिनांक 24.3.2020 से 30.6.2020 तक संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगा हुआ था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की तामीली मानकर निर्णय करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयों पर किसी प्रकार का साक्ष्य लेकर बिना दस्तावेज प्रदर्शित किए आदेश पारित किया है। जबकि बिना प्रदर्श दस्तावेजों को साक्ष्य में ग्राहय नहीं किया जा सकता। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों के मध्य हाल नक्शा ट्रेस को लेकर व अपीलांट व रेस्पोडेंट के खसरा नम्बर के रकबों की साबिक व हाल जमाबंदी में भिन्नता है। जिसकी दुरूस्ती हेतु व नक्शा ट्रेस की दुरूस्ती हेतु रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा वादग्रस्त खसरा नम्बरों व नक्शा ट्रेस को लेकर राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89 व 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष राजस्व वाद प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 1 स्वयं पक्षकार मुर्तिब है। अपीलांट व रेस्पोडेंट के हक अधिकारों का

Scanned with CamScanner

अंतिम रूप से निस्तारण होना शेष है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट की आराजीयात का रकबा कम होना तथा रेस्पोडेंट की खरीदशुदा भूमि का रकबा बढना दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतया सावित है तथा वर्तमान अपीलांट को अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर नहीं मिला है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है अतः उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2020 विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

13. अतः अपील् अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद संख्या 25/2023 बउनवानी भंवरलाल बनाम करणी सिंह को इस वाद के साथ समायोजित कर उभयपक्ष को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए तनकीयात कायम करे एवं प्रत्येक तनकीयात को साक्ष्य लेकर विस्तृत रूप से गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

14. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 24/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2020 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए उक्त प्रकरण में तनकीयात कायम कर एवं प्रत्येक तनकीयात पर साक्ष्य लेकर विस्तृत रूप से उक्त प्रकरण का पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

15. निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

17/02/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner